शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2020 – 2804 भोपाल दिनांक – 2-7-2020

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले म.प्र.

विषयः— शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विभागीय पत्रों के एवं सतत वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से समय–समय पर लगातार निर्देश दिये गये है।

दिनांक 30.06.2020 की स्थिति में पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि अभी सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु कुछ प्रायवेट स्कूलों द्वारा प्रपोजल तैयार नही किये गये है एवं कुछ स्कूलों के प्रपोजल नोड़ल अधिकारी के स्तर पर एवं जिले स्तर पर स्वीकृति हेतु पेंडिग है। जिला रीवा, देवास, सतना, सीहोर, भोपाल, राजगढ, जबलपुर, सागर,मंदसोर तथा रायसेन जिलों में नोडल अधिकारी एवं जिले स्तर पर लंबित प्रपोजलों की संख्या अत्यधिक है। पोर्टल पर भी यह रिपोर्ट उपलब्ध है जिसकी आपके स्तर से नियमित समीक्षा अपेक्षित है। स्पष्ट निर्देश है कि नोडल अधिकारी के समक्ष अधिकतम 07 दिवस एवं जिले स्तर पर 15 दिवस से अधिक अवधि तक कोई भी प्रपोजल पेंड़िग नही रखे जाये। यदि इससे विपरीत स्थिति पायी जाती है तो संबधित अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें एवं लंबित प्रपोजलों का त्वरित निराकरण कराने का कष्ट करें।

जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा उक्त सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नही किये है उन्हे अंतिम स्मरण पत्र प्रेषित करे कि फीस प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन प्रपोजल तैयार करने तथा नोड़ल अधिकारी स्तर से सत्यापन एवं जिले स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियॉ निम्नानुसार हैः–

कं.	सत्र जिसकी फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल तैयार किये जाना है	प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाइन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि	जिला शिक्षा केन्द्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि
1	सत्र 2016–17	15 जुलाई 2020	22 जुलाई 2020	31 जुलाई 2020
2	सत्र 2017–18	30 जुलाई 2020	07 अगस्त 2020	15 अगस्त 2020

जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा उक्त तिथि तक ऑनलाइन प्रपोजल तैयार नही किया जायेगा वे प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नही होगा एवं संबधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव के अभाव में शेष रहे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा।

कृपया उक्त समयावधि में फीस प्रतिपूर्ति की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2020 / 2805 भोपाल, दिनांक 2-7-2020

प्रतिलिपिः—

1—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।

2—जिला परियोजना समन्वयक, जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र